श्री शिव चन्द्र झा : *

सभापति महोदय : क्यों वक्त लेते हैं। रिकार्ड पर जाने से मैंने बन्द कर दिया है।

15.08 hrs.

SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES ORDERS (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

श्री मंगरू उइके (मंडला) : जो विधेयक प्रवर समिति के पास होकर आया था उसको उसी रूप में आपका समर्थन देने के लिए मैं खड़ा होना चाहता था और चाहता था कि मैं मंत्री महोदय को पार्लियामेंट में उसको लाने के लिए हृदय से धन्यवाद दूं। लेकिन सरकार नेजो एमेंडमेंटस मूव करनी चाही हैं उसको देखते हुए मैं सरकार को धन्यवाद नहीं दे सकता हूं और धन्यवाद के बदले पता नहीं मैं किस शब्द को उपयोग में लाऊं। मैं केवल इतना ही कह देना चाहता हूं कि मेरे दिल को बड़ा दुख हो रहा है। आदिवासियों को 1950 में जब यह विधान में अमल में आया तब तो काफी सुविधायें मिलीं लेकिन जहां 1952 के चुनाव में मैं मेम्बर बन कर आया उस वक्त मैंने देखा कि मेरे सी० पी० और बरार में. . .

श्री शिव चन्द्र झा : (मधुबनी) : सभापति महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। मैं आपको रूल 225 पढ़कर सुनाता हूं। मुझे खबर दी गई है कि आपको नोटिस मिल गया है और आल इंडिया रेडियो को लिख कर दिया गया है। रूल में कहा गया है:

"The Speaker, if he gives consent under Rule 222. . . "

—That he has given by communicating to me through the watch and ward staff—

". . . and holds that the matter proposed to be discussed is in order, shall, after the questions and before the list of business is entered upon, call the member concerned, who shall rise in his place and, while asking for leave to raise the question of privilege, make a short statement relevant thereto."

सभापति महोदय : 225 आपने कोट किया है। आप 224 का नियम एक देखिए। उसमें कहा गया है:

Not more than one question shall be raised at the same sitting.

इस सदन में एक सवाल उठ चुका है, इसलिए आपका नहीं उठेगा। कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है।

SHRI JYOTIRMOY BASU (Diamond Harbour): So, I take it that everything goes on record?

MR. CHAIRMAN: No, no.

श्री शिव चन्द्र झा : *

श्री जगेश्वर यादव (नांदा) : *

सभापति महोदय : जो कुछ मेरी परमिशन के बिना कहा जाएगा, वह रिकार्ड पर नहीं जायेगा। जो सदस्य मेरी परमिशन के बिना बोलेंगे, चाहे वे किसी भी पार्टी के हों, उनकी बात रिकार्ड पर नहीं जायेगी।

श्री शिव चन्द्र झा : *

श्री जगेश्वर यादव : *

सभापति महोदय : माननीय सदस्य यहां पर कांस्ट्रक्टिव काम करने के लिए आये हैं। वे कार्यवाही को चलने दें।

श्री जगेश्वर यादव : *

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि मेहरबानी करके वह कार्यवाही को चलने दें या सदन से बाहर चले जायें। श्री उइके।

---

* Not recorded as ordered by the Chair.

श्री मंगरू उइके : सभापति महोदय, सी० पी० एंड बरार में आदिवासियों की घोषणा एरिया रेस्ट्रिक्शन रख कर की गई। उससे लगभग पंद्रह लाख लोग आदिवासी घोषित होने से रह गये। बैकवर्ड क्लासिज़ कमीशन ने यह सिफारिश की कि लेफ्ट-आउट आदिवासियों को आदिवासी घोषित कर दिया जाये। उन पंद्रह लाख आदिवासियों को सरकार द्वारा आदिवासियों के लिए किये जा रहे कल्याण-कार्यों का फ़ायदा नहीं होता था। बैकवर्ड क्लासिज़ कमीशन की सिफारिश के अनुसार उनमें से एक-तिहाई, लगभग पांच लाख, लोग आदिवासियों में मिला दिये गये। फिर भी लगभग दस लाख लोग आदिवासी घोषित होने से बच गये।

इस बिल के अनुसार वे लोग भी आदिवासी माने जायेंगे, इस बात की मुझे खुशी हुई। जहां तक इस बिल का सम्बन्ध है, इस बारे में 1966 से विचार हो रहा था। इस अवधि में सब राज्यों के मंत्रियों और अफसरों, यहां पर सब दलों के नेताओं और हरिजन तथा आदिवासी सदस्यों के साथ सरकार ने विचार-विमर्श किया है कि लिस्ट में कि कौन कौन से हरिजनों और आदिवासियों को लेना चाहिए और किन किन को निकाल देना चाहिए। इस सम्बन्ध में प्रदेश सरकारों से भी मेमोरेंडम आये। उसके बाद यह जायंट सिलेक्ट कमेटी बैठी। उसके पास सैकड़ों स्मृतिपत्र आये, जिनमें हरएक प्रदेश सरकार के मेमोरेंडा भी थे। आदिवासियों और हरिजनों के बहुत से नेता भी कमेटी के सामने आये और उन्होंने अपने बयान दिये। कमेटी ने तथ्यों को जानने के लिए हर एक प्रदेश का टूर भी किया। स्मृतिपत्रों, गवाहियों और प्रदेश सरकारों के सुझावों पर कमेटी ने विचार किया और हर प्रकार का विचार कर के यह बिल तैयार किया। लेकिन अब गवर्नमेंट की तरफ़ से इस बिल पर 203 एमेंडमेंट्स दिये गये हैं। सैन्सस कमिश्नर ने लिखा है कि रिजनल बेसिस पर या जेनैरिक नेम्ज़ के आधार पर ट्राइबल्ज़ की लिस्ट नहीं होनी चाहिए। मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि जायंट सिलेक्ट ने जिन जातियों को लिस्ट से निकाल दिया था, गवर्नमेंट ने इन एमेंडमेंट्स के द्वारा उनको फिर लिस्ट में रख दिया है।

मंत्री महोदय की बातों का जवाब देने से पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने आदिवासियों के सम्बन्ध में क्या कहा था :

"We would help the tribal people to develop along the lines of their own tradition and genius, not learning to despise their past but build upon it."

इस बारे में गांधीजी ने कहा था :

"Gandhiji himself emphasised the need to develop the tribals living in inaccessible places so as to ensure their integration with the rest of the country."

इस सम्बन्ध में सरदार वल्लभभाई पटेल ने कहा था :

"I would like to make one thing clear. Is it the intention of people who defend the case of tribals to keep the tribals permanently in their present state? I do not think it is their intention to do so. I think it would be our endeavour to bring the tribal people to the level of Mr. Jaipal Singh."

सभापति महोदय, उस समय हम लोग कांस्टीट्युएन्ट एसेम्बली में नहीं थे। वहां पर ट्राइबल्ज़ का रिप्रेज़ेन्टेशन श्री जयपाल सिह कर रहे थे। वह धर्म-परिवर्तित ईसाई आदिवासी थे। उन्होंने इसमें यह वात डाल दी कि जो आदिवासी धर्म-परिवर्तन करके ईसाई बन गये, वे भी आदिवासी माने जायें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आदिवासियों को धर्म की कोई आवश्यकता नहीं है। कल मंत्री महोदय ने कहा कि बहुत से आदिवासी हिन्दू धर्म में भी आये हुए हैं। मेरे पास सेन्सस की सारी किताबें हैं, जिनसे पता चलता है कि सेन्सस में आदिवासियों का क्या धर्म बताया गया है।

[श्री मंगरु उईके]

1951 की सैन्सस में मध्य प्रदेश में ट्राइबल रिलिजन मानने वालों के फ़िगर्स दिये गये हैं। उसमें बताया गया है कि एक लाख में 1901 में 13090, 1911 में 15532, 1921 में 13229, 1931 में 10945, 1941 में 22597 और 1951 में 5.6 कमेटी लोग ट्राइबल रिलिजन को मानने वाले थे। आदिवासी "धर्म" शब्द को नहीं जानते हैं। वे तो अपने रीति-रिवाज को ही अपना धर्म समझते हैं। मर्दुमशुमारी करने वाले ने जो चाहे उनका धर्म लिख दिया। अगर किन्हीं आदिवासियों को हिन्दू लिखा भी गया, तो किसी हिन्दू पंडित ने उनको हिन्दू धर्म की दीक्षा नहीं दी। लेकिन जिन आदिवासियों को ईसाई माना गया, उनको पादरियों ने दीक्षित करके कनवर्ट किया है।

उन भाइयों से हमारा कोई विरोध नहीं है। वे भी आदिवासी थे। लेकिन हम देखते हैं कि यहां भी और एसेम्बलीज़ में भी उनका रिप्रेज़ेन्टेशन उनकी जनसंख्या से कहीं ज्यादा है। एजूकेशन और सर्विस के सारे बैनिफ़िट वे लेते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट के दो सौ साल के ज़माने में और हमारा कांस्टीट्यूशन बनने से पहले हमारे देश में जितना कनवर्शन होता था, उससे दस गुना ज्यादा कनवर्शन धर्म-परिवर्तित ईसाई आदिवासियों को आदिवासी मानने के बाद शुरू हो गया। चूंकि ईसाई पादरियों की तरफ़ से काफी मदद दी जाती है, इसलिए हमारे पढ़े-लिखे लड़के ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेते हैं। इन कारणों से हमारे आदिवासी तेज़ी से ईसाई बनने लगे हैं। संविधान के अनुच्छेद 46 में हमने यह प्रतिज्ञा ली है कि संस्कृति और आचार-विचार की दृष्टि से हरिजनों और आदिवासियों के हर प्रकार के एक्सप्लायटेशन को रोकना है।

हमारा यह जो एक्सप्लायटेशन हो रहा है, हमारे भले ही कैसे भी रीति-रिवाज़ रहे हों, उसको हम मानते हैं और वह मानने के लिए ही हम मैदानों से जंगलों में गए, यह हमारा इतिहास बताता है, हम अपने बाप-दादों के आचार-विचारों को छोड़ना पसंद नहीं किए, हमने मिल्कियतें छोड़ दीं, मैदान की अच्छी जमीनों को छोड़ दिया और हम जंगलों और पहाड़ों में चले गये, लेकिन अपने आचार विचारों को हमने नहीं छोड़ा। लेकिन आज जब स्वतंत्र ज़माना आया तो हमारे साथ यह चीज चल रही है। इसके ऊपर बैंकवर्ड कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट के पृष्ठ 31 पर लिखा है:

"In a population of nearly two crores of tribals, the Charistian tribals are only four lakhs, and yet they are allowed to be the leaders of these two crores of tribals."

फिर आगे लिखते हैं:

"Nobody is against the help given to the Christian tribals. Let them be given better posts in Government service because of their advancement. Let them be treated with what ever special consideration the Government finds it necessary, but why should they be allowed to be leaders of all the non-Christian tribals and why should the non-Christian tribals be left to be victims of the policy of domination of the Charistian tribals?"

अभी क्लाज़ बाइ क्लाज़ डिस्कशन में अमेंडमेंट आएगा तो हम उसकी फिगर देंगे।

अब मैं दूसरे विषय पर आता हूं और वह यह कि आदिवासी, आसाम की चाय पत्ती के बागान में जो गए हुए हैं यह आदिवासी बिहार से, उड़ीसा से और मध्य प्रदेश से तीन जगहों से करीब 30 लाख आदिवासी गये हैं। वह गए क्यों? क्योंकि उनको यहां रोज़ी नहीं मिलती थी, उनको यहां खाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए वह चाय पत्ती में काम करने के लिए वहां गए। पर आज हम उनको आदिवासी मानने से इन्कार कर रहे हैं। लेकिन गवर्नमेंट के जो यहां अमेंडमेंट आए हुए हैं उसमें

उनसे कई गुना ऐडवांस्ड लोगों को ट्राइबल लिस्ट में ऐडमिट कर रहे हैं। और वह बेचारे गरीब जो अपना घर छोड़कर पेट भरने के लिए वहां गए उनको आदिवासी मानने को तैयार नहीं हैं। मैं फिर से बताता हूं कि विधान की 46वीं आर्टिकिल बताती है कि इनको हरएक प्रकार के एक्सप्लायटेशन से बचाना है, यह इन्नोसेंट बच्चे हैं इस भारत माता के। इसको हम नहीं रोकेंगे तो दूसरा कोई नहीं रोक सकता।. . . (**व्यवधान**) . . .

इसी प्रकार से कुछ विवाह का मुद्दा भी मंत्री जी ने उठाया था। हम देखते हैं कि आदिवासी या कोई भी गरीब लोग हैं, हमारे जंगल पहाड़ों में काम करने को जाते हैं तो कोई भी हमारी औरत को लोभ दिखा कर अपने घर में डाल सकता है और ऐसा करके वह इन्फ्लुएंशियल आदमी खुद नहीं खड़ा हो सकता है रिजर्व्ड सीट से, वह उस लड़की को रिजर्व्ड सीट से खड़ा करके भेजता है। मंत्रीजी के भाषण में भी कल वह चीज यहां पर आई है। इतना ही नहीं, अगर मेरे पास में अच्छी जमीन है तो वह मेरी लड़की या मेरे घर की किसी विडो को अपने कब्ज़े में करने की कोशिश करेंगे और उसकी तरफ से दावा करके मेरी जमीन का हिस्सा ले लेंगे। लैंड एलियनेशन से हमारी जमीन दूसरा कोई ले नहीं सकता है। तो वह इस तरीके से लेते हैं। इसलिए जो विवाह संबंध का इसमें क्लाज़ डाला गया है उसको सरकार को मान्य कर लेना चाहिए।

अब दूसरी बात—नोमेडिक और डी-नोटिफाइड ट्राइब जो है इसके लिए बैकवर्ड कमीशन ने, धेबर कमीशन ने और लोकुर कमेटी के तीनों ने यह रेकमेंड किया है कि यह नोमेडिक और डी-नोटिफाइड ट्राइब जो हैं यह ट्राइब नहीं हैं, यह कम्युनिटीज़ हैं। इन कम्युनिटीज़ को ट्राइब नहीं मानना चाहिए। पर गवर्नमेंट ने जो मेमोरेंडम दिया है उसमें नोमेडिक ट्राइब को ट्राइब में मिलाने का मेमोरेंडम दिया हुआ है, यह बड़े दुख की बात है।

इसके अलावा ऐडवांस्ड जातियों को इसमें मिला दिया है और इसका कारण यह है कि बैकवर्ड कमीशन ने जो रिपोर्ट दी उसमें कई बैकवर्ड जातियाँ जो भारत की बताई गई उनको कोई खास सहूलियत इन्होंने नहीं दी, इसलिए यह बैकवर्ड जाति के लोग चाहते हैं कि आदिवासियों में आ जायं तो मजा है, इसलिए वह आदिवासी में जाना चाहते हैं। लेकिन मैं सरकार को अंतिम बात बताना चाहता हूं कि उसका एक क्राइटीरियन है आदिवासी होने के लिए—"indication of primitive traits, distinctive culture, geographical isolation shyness of contact with the community at large and backwardness."

हिन्दी में इसको कहेंगे—आदिम लक्षण—नाच गाने, पूजा, विवाह मृत्यु आदि के रिवाज़। आदिम सभ्यता में आता है मकान, आभूषण, बर्तन, पोशाक, जुताई, उत्पत्ति, उत्कर्ष, उत्थान, सभ्यता इत्यादि। भौगोलिक अलगाव में आता है कि कभी यह गांव के लोगों के साथ मिलकर नहीं रहेंगे। आदिवासियों का एक टोला, एक पारा गांव से दूर अलग रहेगा। यह होशियार लोग जो हैं उनके साथ रहना पसंद नहीं करते। दूसरों से मिलने में भीरुता, अगर इनकी डिग्री भी होती होगी तो भी कोर्ट में जाने से डरेंगे, पांच की जगह पचास देकर फैसला कर लेंगे लेकिन कोर्ट में या मीटिंग में जाने से संकोच करेंगे। और पिछड़ापन—साक्षरता इतनी कम है इनके अंदर कि सारे हिन्दुस्तान में 6.4 इनकी साक्षरता है। ऐसी साक्षरता में अगर हमारे साथ में गवर्नमेंट ऐडवांस्ड लोगों को या नोमेडिक और डी-नोटिफाइड ट्राइब्स को मिलाती है या हमारे कन्वर्टेड भाई जिनको डबल प्राफिट मिलता है, एक तरफ मिशनरी की तरफ से, एक तरफ गवर्नमेंट की तरफ से, उनको भी शामिल करती है तो यह कहां तक उचित है? हम तो अपना रेलीजन बचाने के लिए पहाड़ों में गए हैं। हमको अगर अपने बाप-दादों का रेलीजन छोड़ना पड़ता है तो मैं तो अपने व्यक्तिगत तौर से यह कहूंगा कि हमें विधर्मी नहीं होना

[श्री मंगरु उईके]

है, हमें यह वेलफेयर नहीं चाहिए और हमें यह स्कालरशिप नहीं चाहिए जिससे हमें अपने बाप-दादों का रीति-रिवाज़ छोड़ना पड़े। इन बातों के लिए हम गवर्नमेंट के नियमों के अनुसार ईसाई बनें और अपने बाप दादों के धर्म को छोड़ें यह हम नहीं करेंगे। इतना कहते हुए मैं ज्वाइंट कमेटी ने जो पास किया है उसका समर्थन करता हूं और गवर्नमेंट ने जो अमेंडमेंट रखा है उसका मैं घोर विरोध करता हूं।

SHRI K.M. KOUSHIK (Chanda): Mr. Chairman, yesterday when the Bill was introduced in the House by the hon. Minister he spoke of two guidelines: recommendations of the State Governments and the report of the Joint Committee. I would have been glad if in the inclusion or deletion of tribes they conformed to those two guidelines. In the first place so far as the Maharashtra. Raj Gonds are concerned, the Maharashtra Government had stated that they should not be deleted. Even with regard to the M.P. Raj Gonds; that Government also stated that they were not to be deleted as they still continued their primitive traits. So far as the first guideling is concerned, it is against deletion of Raj Gonds from M.P. and Maharashtra State. That is the first submission of mine.

MR. CHAIRMAN: Please continue next time. We take up another business.

श्रीमती लक्ष्मी बाई (मेडक): यह क्या बात है जब भी शेड्यूल्ड कास्ट ऐंड शेड्यूल्ड ट्राइब्ज की बात आती है तो वह कंटीन्यूड नहीं चल पाती है, दस मिनट, पन्द्रह मिनट इस तरह से करके उसको क्यों लिया जाता है?

MOTION RE. ENCOURAGEMENT TO SUBVERSIVE AND VIOLENT ACTIVITIES IN THE COUNTRY—*Contd.*

SHRI J. MOHAMED IMAM (Chitradurga): I support the resolution moved by Shri Prakash Vir Shastri and the anxiety reflected in that resolution. Our country is confronted with many grave problems and many dangers and menaces. The gravest danger which it has to encounter is that of the Naxalites. The dangers are both external and internal. We can fight the external dangers with confidence, but not the internal danger; we cannot fight against our own people who indulge in anti national activities and are a source of anxiety to the future of the country. This Naxalite problem came into prominence a few years back at Naxalbari. Evidently it was engineered and fortered by foreign agents, especially by the President of the Republic of China, Mao Tse-Tung. They derive all their inspiration from him. There was a big upsurge in Naxalbari. Many persons were killed, much of their property was burnt and many estates were destroyed and for a few days that part was practically without any law and order. Subsequently those who wanted to indulge in anti-national activities found a fertile ground in West Bengal at the time when the Government was dominated by Marxists and these activities spread widely in the country. There was no check on these anti-national activities.

श्री जगेश्वर यादव (बांदा): सभापति महोदय, मेरा प्वाइन्ट आफ आर्डर है। मेरे ज़िले में हम लोगों पर राजनीतिक दबाव बहुत अधिक हो रहा है। हमारी पार्टी के सेक्रेटरी—श्री गंगा मुंशी को छुरा भोंका गया है। ता० 14-15 की रात को वह अपने होटल से घर जा रहे थे, उनको रिक्शा में छुरा भोंक दिया गया, उनकी हालत चिन्ताजनक है और वहां पर पुलिस के कुछ अधिकारी गुण्डों से मिले हुए हैं. . .

सभापति महोदय: आप बैठिए, यह कोई प्वाइन्ट आफ आर्डर नहीं है।

SHRI J. MOHAMED IMAM: The Naxalite movement, I was saying spread in West Bengal. This movement was fostered and encouraged by the then Government of the State of West Bengal. There was literally no check on them. The police did not come to the help of the civilian population. So much so, in course of time the Chief Minister himself had to resign from that coalition. He himself revolted and went on fast and admitted that in the State of West Bengal